न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारीः अरविन्द शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 51/2023 FSSA

1. सरकार जरिये डॉ0 मदनलाल गूजर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकिसा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।

आवेदक–

बनाम

1. श्री विनोद कुमार सैनी पुत्र श्री गोरधन लाल सैनी एफ.बी.ओ./मालिक मैसर्स अवलिया किराणा स्टोर, नारायणी माता रोड गुढा कटला तहसील बसवा दौसा (राज.) निवासी –रजवास पोस्ट मुही तहसील बसवा जिला दौसा राज0

– अभियुक्त–

(जुर्म अन्तर्गत एफएसएस धारा 26 (2)(v) एवं दंडनीय धारा 58एफएसएस रूल्स 2011)

उपस्थिति : श्री महेश कुमार सैनी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त बहस के दौरान अनुपस्थित।

–::आदेश::–

दिनांकः–25.03.2026

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 9.4.2023 को 3.11 पी.एम. पर मैसर्स अवलिया किराणा स्टोर नारायणी माता रोड गुढा कटला तहसील बसवा जिला दौसा पर पहुंचा। यहां पर श्री विनोद कुमार सैनी पुत्र श्री गोरधनलाल सैनी मिला को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री विनोद कुमार सैनी ने स्वयं को मैसर्स अवलिया किराणा स्टोर नारायणी माता रोड गुढा कटला का मालिका होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री रजि0 दिखाया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा श्री विनोद कुमार सैनी की उपस्थिति में मैसर्स अवलिया किराणा स्टोर का निरीक्षण करने पर पाया कि उसमें आम जनता को विक्रय करने हेतु मसाले मिर्च पावटर, धनिया पावडर, हल्दी पावडर, चीनी, दालें, बेसन, घी सरस व कृष्णा1–1 कि.ग्रा. व 15–15 कि.ग्रा. टिन पैक के साथ सरसों तेल खुला प्लास्टिक केन में दुकान में रखे हुये पाये सरसों तेल खुला प्लास्टिक केन निरीक्षण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो विक्रेता श्री विनोद कुमार सैनी को फार्म 5ए की सूचना देते हुए श्री विनोद कुमारसैनी व गवाहान के फार्म 5ए पर हस्ताक्षर करवाये व खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा फार्म5ए की एक प्रति विक्रेता श्री विनोद कुमार सैनी को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह सरसों तेल खुला को वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय कर रहा है, प्लास्टिक केन में से वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु सरसों तेल खुला 1600 ग्राम खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता श्री विनोद कुमार सैनी को उनके मॉगे अनुसार बाजार भाव से 1600 ग्राम सरसों तेल खुला के 200/–अक्षरे दो सौ रूपये मात्र नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता व गवाह के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्लास्टिक केन में लगभग 10–11 किलोग्राम सरसों तेल में

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

से सरसों तेल खुला को तेल मापक से 400–400 ग्राम कुल 1600 ग्राम सरसों तेल खुला को श्री विनोद कुमार सैनी एवं गवाहानको दिखाकर 400–400 ग्राम को अलग–अलग साफ व सूखे प्लास्टिक शीशीयों में इलेक्ट्रोनिक मापक मशीन से तुलवाकर अलग–अलग प्लास्टिक शीशीयों में भरकर प्रत्येक शीशी के ढक्कन लगाकर एयर टाईट बन्द किया तथा नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिये गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक AG- 3288 अंकित किया तथा प्रत्येक लेबल पर श्री विनोद कुमार सैनी तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर करायें तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. दौसा की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. AG- 3288 को नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से उपर तक गोंद से चिपकार प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाहरों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमनू भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री विनोद कुमारसैनी ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये, मौके पर तैयार सभी दस्तावेज अपने कब्जे में लिये। आवेदक ने कार्यालय में पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार कर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं.6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया, दो फार्म सं. 6 की प्रतियां अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर नियमानुसार तैयार किये तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को नमूना का एक तैयारशुदा भाग व बन्द लिफाफा जमा करवाया व शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रतियों के डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वाथ्य अधिकारी दौसा को जमा करवाया एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ने श्री महादेव प्रसाद सैनी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को दिनांक 12.4.2023 को श्रीमान खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अलवर को तैयार शुदा नमूना व सम्बन्धित दस्तावेज जमा करवाने हेतु भेजा गया एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की। नमूने के शेष 2 भाग व चौथा भाग डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को दिनांक 10.4.2023 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए/2023/3265 दिनांक 04.5.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./559/एक्ट/2023/581 दिनांक 24.4.2023 के अनुसार विक्रेता विनोद कुमार सैनी से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया सरसों तेल खुला (Mustard Oil Loose) खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम विनियम नं. 2.2.15(b) के उल्लंघन के कारण कान्ट्रावेन (Contravene) स्तर का भी पाया गया है जो कि एफ.एस.एसए. की धारा 26 की उप धारा (2) (V) का उल्लंघन है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अप्रार्थी अभियुक्त को बार–बार आवाज लगवाई गई किन्तु बहस के दौरान उपस्थित नहीं हुआ। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस सुनी गई।

न्याय निर्णय अधिकारी
अति0 जिला मजिस्ट्रेट

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ सरसों तेल खुला (Mustard Oil Loose) के नमूने की खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./559/एक्ट/2023/581 दिनांक 24.4.2023 के अनुसार खाद्य पदार्थ का खुली अवस्था में विक्रय किये जाने के कारण नियम संख्या 2.3.15(b) एफएसएस (Prohibitions and Restrictions on sale) नियम 2011 का उल्लंघन पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ सरसों तेल खुला (Mustard Oil Loose) का विक्रय कर एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 (2) (V) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 58 एफएसएसए 2006 में वर्णित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./559/एक्ट/2023/581 दिनांक 24.4.2023 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ सरसों तेल खुला (Mustard Oil Loose) का खुली अवस्था में विक्रय किये जाने के कारण यह नमूना नियम संख्या 2.3.15(b) एफएसएस (Prohibitions and Restrictions on sale) नियम 2011 का उल्लंघन होना पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ सरसों तेल खुला (Mustard Oil Loose) का विक्रय कर एफ.एस.एस.ए. की धारा 26 की उप धारा (2) (V) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए की धारा 58 में वर्णित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ सरसों तेल खुला (Mustard Oil Loose) का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त श्री विनोद कुमार सैनी पुत्र श्री गोरधन लाल सैनी एफ.बी.ओ./मालिक मैसर्स अवलिया किराणा स्टोर, नारायणी माता रोड गुढा कटला तहसील बसवा दौसा (राज.) निवासी –रजवास पोस्ट मुही तहसील बसवा जिला दौसा राज0 पर 10,000/–(अक्षरे दस हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 25.3.2026 के एक माह के अन्दर–अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित (Chief Medical & Health Officer Dausa) के मद 0210–04–800–03–00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 25.3.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

25/3/26

(अरविन्द शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

कमांक/FSSA/ 2026/627-29 दिनांकः– 01.04.2026

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री विनोद कुमार सैनी पुत्र श्री गोरधन लाल सैनी एफ.बी.ओ./मालिक मैसर्स अवलिया किराणा स्टोर, नारायणी माता रोड गुढा कटला तहसील बसवा दौसा (राज.) निवासी –रजवास पोस्ट मुही तहसील बसवा जिला दौसा राज0।

25/3/26

(अरविन्द शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा